राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल और अन्य बनाम भारतसंघ
(रविशंकर झा, सी. जे.)

रविशंकर झा, सी. जे. और अरुण पल्ली, जे. के समक्ष
राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल और अन्य-याचिकाकर्ता
बनाम
भारत संघ-**प्रतिवादी**
सीडब्ल्यूपी-**18833-2019**

10 फरवरी, 2019

भारत का संविधान, **1950,** अनुच्छेद **14,19** और **226**-अधिसूचना-रेजिमेंटल दुकानों के आवंटन के संबंध में पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों **(**ओं**)** की अन्य श्रेणियों के लिए **100%** आरक्षण-यह स्पष्ट है कि विचाराधीन दुकान विशेष रूप से सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवंटित की गई थी-याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिकाओं में यह दावा करने या स्थापित करने के लिए कोई दावा, दावा या तथ्यात्मक आधार नहीं रखा गया है कि विचाराधीन दुकानें रेजिमेंटल दुकानें नहीं हैं-इस प्रकार, पूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के रक्षा कर्मियों **(**ओं**)** को रेजिमेंटल दुकानों के आवंटन के संबंध में **100%** आरक्षण के बारे में अधिसूचना जो याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।

माना गया कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन दुकान विशेष रूप से सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवंटित की गई थी।यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि दुकानें एक सैन्य स्टेशन में ए-1 रक्षा भूमि पर स्थित हैं।

(पैरा 23)

इसके इलावा माना गया कि, वर्तमान मामले में प्रचलित उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन दुकानें रेजिमेंटल दुकानें हैं।यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिकाओं में यह दावा करने या स्थापित करने के लिए कोई दावा, दावा या तथ्यात्मक आधार नहीं है कि विचाराधीन दुकानें रेजिमेंटल दुकानें नहीं हैं।हालाँकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रतिकृति में इस संबंध में कमजोर प्रयास किया गया है, हालाँकि, पिछले पैराग्राफ में वर्णित तथ्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन दुकानें रेजिमेंटल दुकानें हैं।इस प्रकार, दिनांकित 17.01.2018 (अनुलग्नक पी-3) अधिसूचना उसी पर पूरी तरह से लागू होती है।

(पैरा 24)

पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता,
विभव जैन, अधिवक्ता और
सचिन जैन, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के लिए सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18833/ 2019 में ।
अनुज गर्ग, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के लिए सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 19682-2019 में संख्या 1 से 3 तक।
संदीप सिंह मजीठिया, अधिवक्ता
सी. डब्ल्यू. पी. सं. 19682-2019 में याचिकाकर्ता सं. 4 के लिए।
एसकेएस बेदी, अधिवक्ता
सी. डब्ल्यू. पी. सं. 19996-2019 में याचिकाकर्ताओं के लिए।
सत्यपाल जैन, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, रोहित वर्मा, केंद्र सरकार के वकील के साथ

भारत संघ-उत्तरदाताओं के लिए।

रविशंकर झा**,** चीफ जस्टिस **(**मौखिक**)**

(1) यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों की अन्य श्रेणियों को रेजिमेंटल दुकानों 100% के आवंटन के संबंध में इस आधार पर आरक्षण प्रदान करने वाली अधिसूचना दिनाक 17-01-2018 (अनुलग्नक पी-3) को रद्द करने की प्रार्थना की गई है कि 100% आरक्षण प्रदान करने से याचिकाकर्ताओं के उन दुकानों के आवंटन की मांग करने का अधिकार समाप्त हो गया है और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

(2) याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादीगण द्वारा जारी किए गए विवादित नोटिस दिनाक 30-04-2019 (अनुलग्नक पी-10 कोली) को रद्द करने का भी अनुरोध किया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को मनमाना, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होने के कारण उन्हें आवंटित दुकानों को खाली करने के लिए कहा गया है।

(3) याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादीगण को छावनी क्षेत्रों, रेजिमेंटल क्षेत्रों और अन्य संस्थानों और रक्षा प्रतिष्ठानों में दुकानों के आवंटन की पिछली नीति से विचलित नहीं होने का निर्देश देते हुए अनिवार्य रूप से एक रिट जारी करने का भी अनुरोध किया है।

(4) इन सभी याचिकाओं में समान और एक समान मुद्दे शामिल हैं और इसलिए, उनकी सुनवाई की जाती है और साथ ही निर्णय लिया जाता है।

(5) निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं को चक्र सुविधा परिसर, चंडीमंदिर सैन्य स्टेशन, पंचकूला में दुकानें आवंटित की गई थीं।हालांकि शुरू में याचिकाकर्ताओं को एक साल की अवधि के लिए उन दुकानों पर कब्जा करने के लिए पट्टा दिया गया था, लेकिन बाद में 2015 से, उक्त दुकानों को पार्टियों के बीच 11 महीने के लिए किए गए लाइसेंस समझौते के अनुसार लाइसेंस पर दिया गया था। बेशक लाइसेंस की अवधि और यहां तक कि विस्तार 30.11.2018 को समाप्त हो गया।महत्वपूर्ण रूप से, प्रतिवादीगण द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश दिनांक 17.01.2018 (अनुलग्नक पी-3) के माध्यम से, रेजिमेंट केंद्रों/स्टेशनों में सभी दुकानों को युद्ध विधवाओं/कर्तव्य पर रहते हुए मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/विकलांग सैनिकों/पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के जीवनसाथी/विधवाओं आदि को आवंटित करने का एक नीतिगत निर्णय लिया गया था। तदनुसार, प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ताओं को सिविल रिट याचिका संख्या 18833/2019 और 19996/2019 के साथ अनुलग्नक पी-10 (कोली) के रूप में संलग्न दिनांक 30.04.2019 के विवादित नोटिसों के माध्यम से उनके द्वारा कब्जा की गई दुकानों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

(6) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से विचाराधीन दुकानों पर कब्जा कर रहे हैं और अधिसूचना/आदेश दिनांक 17-01-2018 जारी होने से पहले, प्रतिष्ठान में प्रचलित नीति में पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं आदि के लिए केवल 30 प्रतिशत दुकानों तक आरक्षण की परिकल्पना की गई थी। और उक्त नीति के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को सैन्य क्षेत्र में उनके कब्ज़े में दुकानें आवंटित की गईं।हालाँकि, उत्तरदाताओं के अधिकारियों ने अब एकतरफा रूप से पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं, रक्षा कर्मियों और सेना से संबंधित अन्य रक्षा श्रेणियों को आवंटन के लिए सभी दुकानों यानि 100% दुकानोंको आरक्षित करने का एक मनमाना निर्णय लिया है।

(7) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि उक्त नीति दिनांक 17-01-2018 मनमाना, अनुचित है और इसके लिए भेदभाव का कारण बनती है क्योंकि पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और अन्य रक्षा कर्मियों और संबंधित श्रेणियों के पक्ष में 100% आरक्षण के कारण याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिसमें याचिकाकर्ता शामिल नहीं हैं जो पिछले कई दशकों से उक्त दुकानों में व्यापार कर रहे हैं।

(8) विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी मामले में 17.01.2018 का नीतिगत निर्णय केवल सेना के तहत विभिन्न संरचनाओं/प्रतिष्ठानों में रेजिमेंटल दुकानों से संबंधित है और केवल सीमित है, जबकि याचिकाकर्ताओं को अपना व्यवसाय करने के लिए एक खरीदारी परिसर में दुकानें आवंटित की गई हैं, जिस पर उक्त नीति लागू नहीं होती है।इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादीगण अधिकारियों ने खरीदारी परिसर में स्थित याचिकाकर्ताओं द्वारा कब्जा की गई दुकानों पर उक्त नीति को गलत तरीके से लागू करके, उन दुकानों को खाली करने के लिए विवादित नोटिस जारी किए हैं जो कानून के विपरीत हैं और मनमाने हैं।

(9) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि विचाराधीन दुकानें खरीदारी परिसर में स्थित हैं और रेजिमेंटल दुकानें नहीं हैं और इसलिए, एक नीति के आधार पर 30.04.2019 दिनांकित विवादित नोटिस, जो याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होते हैं, रद्द किए जाने के योग्य हैं।और याचिकाकर्ताओं को दुकानों पर कब्जा जारी रखने का अधिकार है।

(10) उपरोक्त निवेदन के आधार पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने छावनी क्षेत्रों, रेजिमेंटल क्षेत्रों और अन्य संस्थानों और रक्षा प्रतिष्ठानों के तहत दुकानों के आवंटन के लिए पहले की नीति का पालन करने के निर्देश के लिए अनुरोध किया है।

(11) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि विचाराधीन दुकानें चक्र सुविधा परिसर, चंडीमंदिर सैन्य स्टेशन, पंचकूला में स्थित हैं, न कि छावनी क्षेत्र में, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि विचाराधीन दुकानें रेजिमेंटल दुकानें हैं और विचाराधीन नीति दिनांक 17.01.2018 याचिकाकर्ताओं के कब्जे वाली दुकानों पर पूरी तरह से लागू होती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हाल के दिनों में सशस्त्र बलों में हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई है और इसलिए, पूर्व सैनिकों के परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवादीगण ने युद्ध विधवाओं/कर्तव्य पर रहते हुए मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/विकलांग सैनिकों/पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के जीवनसाथी/विधवाओं आदि के लिए रेजिमेंटल दुकानों के 100% आरक्षण के साथ एक नीति बनाई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में, विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से प्रतिवादीगण के अधिकारियों द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय संवैधानिक जनादेश के अनुसार है और इसलिए, इसके विपरीत तर्क खारिज किए जाने के योग्य हैं।

(12) वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता केवल लाइसेंसधारी हैं और उनकी लाइसेंस अवधि 30.11.2018 पर पहले ही समाप्त हो चुकी है।यह कहा गया है कि कानून के प्रावधानों के अनुसार विचाराधीन दुकानों को खाली करने के लिए याचिकाकर्ताओं को 30.04.2019 पर नोटिस जारी किए गए, जिसमें उन्हें इसे खाली करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।इस प्रकार, विवादित नोटिस कानून के अनुसार जारी किए जाते हैं और इसकी चुनौती को खारिज किए जाने के योग्य हैं।

(13) वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि रेजिमेंटल दुकानों को नियंत्रित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जिन्हें याचिका के साथ अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न किया गया है, यह स्पष्ट

है कि रेजिमेंटल दुकानों का निर्माण ए-1 रक्षा भूमि पर किया गया है जो विशेष रूप से सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक आर-7 दिनांक 14.03.2018 की विशिष्ट शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को आवंटित दुकानों से लाइसेंस में विस्तृत नियम और शर्तों के अनुसार सैन्य स्टेशन में सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अपने उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गई थी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दस्तावेज़ अनुलग्नक पी-17 के अनुसार, इस तथ्य को 06.06.2018 को अधिकारियों द्वारा पर इस बात पर जोर देकर स्पष्ट किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को आवंटित दुकानें विशेष रूप से रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में नीति दिनांक 17.01.2018 (अनुलग्नक पी-3) याचिकाकर्ताओं के कब्जे वाली दुकानों पर स्पष्ट रूप से लागू होती है और उन दुकानों को खाली करने के लिए अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विवादित नोटिस कानून के अनुसार हैं।

(14) हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

(15) याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देने पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि ये याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा समान और समान मुद्दों के संबंध में पारित कुछ अंतरिम आदेशों के संदर्भ में दायर की गई थीं।सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस अदालत के समक्ष निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखी और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंततः इसी तरह की याचिकाओं पर निर्णय लेने और खारिज करने के
पारित आदेशों को रिकॉर्ड पर रखा है।

(16) डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 6026/2018 और सी. एम. संख्या 23417/2018 दानिश अख्तर बनाम भारत संघ और एक अन्य, के मामले में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.01.2018 (अनुलग्नक पी-3) की विवादित अधिसूचना पर आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और छुट्टी के नोटिस को भी बरकरार रखा है।उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष समान रूप से रखे गए व्यक्तियों द्वारा की गई इसी तरह की चुनौती को खारिज कर दिया गया है और उक्त न्यायालय के समक्ष उठाए गए समान आधारों पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया।

(17) पक्षों के बीच किए गए लाइसेंस समझौते के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लाइसेंस 01.01.2018 से 30.11.2018 की अवधि के लिए था और उसे नवीनीकृत करने का विकल्प प्रतिवादीगण के पास था।लाइसेंस में आगे यह प्रावधान किया गया था कि यदि लाइसेंसधारी नवीनीकरण की मांग करना चाहता है, तो उसे लाइसेंस की समाप्ति से छह महीने पहले एक आवेदन दायर करना होगा।लाइसेंस अनुलग्नक आर-7 से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने सैन्य स्टेशन में सैनिकों और उनके आश्रितों, अलग हुए परिवारों, वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अपने उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करने वाले लाइसेंस में उल्लिखित शर्तों को स्वीकार कर लिया था।ऐसी परिस्थितियों में, जब पक्षों के बीच पट्टा समझौता समाप्त हो गया था, याचिकाकर्ताओं ने कभी भी नवीनीकरण आवेदन नहीं किया, प्रतिवादीगण अधिकारियों, जिनके पास नवीनीकरण से इनकार करने का भी विकल्प था, ने दुकानों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए और दिनांक 30.04.2019 के लाइसेंस समझौते के संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं को खाली करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया।इस प्रकार, दिए गए तथ्यों में, हमारी यह सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ताओं को दिया गया लाइसेंस समाप्त हो गया है और प्रतिवादीगण ने दुकानों को समाप्त करने और उन्हें खाली करने की प्रक्रिया का विधिवत पालन किया है और इसलिए, यह कानून के अनुसार है और इसमें गलती नहीं पाई जा सकती है।

(18) जहां तक दिनांक 17.01.2018 (अनुलग्नक पी-3) के पत्र/अधिसूचना को चुनौती देने का संबंध है, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन दुकानें सैन्य स्टेशन में स्थित हैं और अधिकारियों ने युद्ध विधवाओं/कर्तव्य पर रहते हुए मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/विकलांग सैनिकों/पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के जीवनसाथी/विधवाओं आदि को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उपरोक्त श्रेणियों को आवंटन के लिए 100% रेजिमेंटल दुकानों को आरक्षित करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

(19) अधिसूचना का उद्देश्य और उद्देश्य प्रशंसनीय है।इसके अलावा, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि जिन श्रेणियों के लिए लाभ प्रदान किया गया है, उन्हें सेना प्रतिष्ठान द्वारा ही दिया जाना आवश्यक है और इसलिए, निर्णय उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में है जिसे प्राप्त करने की इच्छा है।उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि विवादित अधिसूचना के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, स्पष्ट रूप से गलत धारणा है क्योंकि विवादित नोटिस याचिकाकर्ताओं को व्यवसाय करने या अपनी आजीविका कमाने से वंचित या इनकार नहीं करते हैं, बल्कि केवल यह प्रावधान करते हैं कि सैन्य स्टेशन में स्थित रेजिमेंटल दुकानें केवल उसमें उल्लिखित विशिष्ट श्रेणियों के लिए 100% आरक्षित होंगी।याचिकाकर्ता सैन्य स्टेशन के बाहर किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यवसाय करने या अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वतंत्र हैं।इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि उन्हें विवादित अधिसूचना द्वारा व्यवसाय करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है।उपरोक्त के मद्देनजर, हम याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियों या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करने वाली विवादित अधिसूचना घोषित करने के लिए कोई आधार नहीं पाते हैं।

(20) जहां तक खरीदारी केंद्र में स्थित याचिकाकर्ताओं के कब्जे वाली दुकानों पर दिनांक 17-01-2018 की विवादित अधिसूचना के लागू होने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के तर्क का संबंध है, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं अनुलग्नक पी-3 के साथ-साथ प्रतिवादीगण द्वारा दायर अनुलग्नक आर-3 दस्तावेजों के अनुसार, रेजिमेंटल दुकान को सार्वजनिक निधि, गैर-सार्वजनिक निधि या ए-1 रक्षा भूमि पर सरकारी भवनों के पुनर्विनियोजन से निर्मित एक दुकान के रूप में परिभाषित किया गया है जो विशेष रूप से सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए है और कि ऐसी रेजिमेंटल दुकान एक इकाई की दुकान या खरीदारी केंद्र हो सकती है।उक्त दस्तावेज इकाई की दुकानों और खरीदारी केंद्रों को भी परिभाषित करते हैं।

(21) रेजिमेंटल दुकान की परिभाषा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेजिमेंटल दुकान, जो एक इकाई की दुकान या खरीदारी केंद्र हो सकता है, वह है जो (ए) सार्वजनिक निधि, गैर-सार्वजनिक निधि या सरकारी भवनों के पुनर्विनियोजन से निर्मित है; (बी) ए-1 रक्षा भूमि पर स्थित है और (सी) जो विशेष रूप से सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा प्रदान करता है।

(22) लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक आर-7 दिनांक 14.03.2018 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लाइसेंस में एक विशिष्ट शर्त थी कि चक्र सुविधा परिसर, चंडीमंदिर, सैन्य स्टेशन में स्थित दुकान याचिकाकर्ताओं को सैनिकों और उनके आश्रितों, अलग परिवारों, वीर नारियों और स्टेशन में पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उनके उत्पादों की बिक्री के लिए दी गई थी।प्रतिवादीगण द्वारा जारी दस्तावेज़ अनुलग्नक पी-17 दिनांक 06.06.2018 दोहराता है कि याचिकाकर्ताओं को आवंटित दुकानें विशेष रूप से रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में थीं और कि किसी भी नागरिक/अनधिकृत व्यक्ति पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(23) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन दुकान विशेष रूप से सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवंटित की गई थी।यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि दुकानें एक सैन्य स्टेशन में ए-1 रक्षा भूमि पर स्थित हैं।यह भी निर्विवाद है कि दुकानों का निर्माण प्रतिवादीगण द्वारा किया गया है और ऐसी परिस्थितियों में, भले ही यह एक खरीदारी केंद्र में स्थित हो, यह एक रेजिमेंटल दुकान है क्योंकि यह क्रमशः अनुलग्नक पी-3 और आर-3 के माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा जारी दुकानों के आवंटन के लिए दिशानिर्देशों में निहित रेजिमेंटल दुकानों की परिभाषा में उल्लिखित और निर्धारित तीन आवश्यकताओं के भीतर आती है।

(24) वर्तमान मामले में प्रचलित उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन दुकानें रेजिमेंटल दुकानें हैं।यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिकाओं में यह दावा करने या स्थापित करने के लिए कोई दावा, दावा या तथ्यात्मक आधार नहीं है कि विचाराधीन दुकानें रेजिमेंटल दुकानें नहीं हैं।हालांकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रतिकृति में इस संबंध में एक कमजोर प्रयास किया गया है, हालांकि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन दुकानें रेजिमेंटल दुकानें हैं।इस प्रकार, दिनांकित 17.01.2018 (अनुलग्नक पी-3) अधिसूचना उस पर पूरी तरह से लागू होती है।

(25) ऐसी परिस्थितियों में, हमारी यह भी सुविचारित राय है कि प्रतिवादीगण के अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को दिनांकित 17.01.2018 (अनुलग्नक पी-3) की अधिसूचना पर भरोसा करते हुए दुकानों को खाली करने के लिए जारी किए गए दिनांकित 30.04.2019 के विवादित नोटिसों में त्रुटि नहीं पाई जा सकती है और वे कानून के अनुसार हैं।हमारी यह भी राय है कि दुकानों को खाली करने के नोटिस भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हैं।

(26) इस स्तर पर, सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 19682/ 2019 में उपस्थित विद्वान वकील, प्रार्थना करते हैं कि उन्हें याचिकाकर्ता संख्या 4 के लिये याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी ओर से याचिका एक गलत धारणा के तहत दायर की गई थी। उनका कहना है कि इस संबंध में एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। विद्वान वकील की प्रार्थना स्वीकार की जाती है और इस संबंध में याचिकाकर्ता संख्या 4 की ओर से एक औपचारिक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

(27) उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता संख्या 4 की ओर से सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 19682/ 2019 को छोड़कर सभी रिट याचिकाओं को योग्यता के अभाव में खारिज कर दिया जाता है, ताकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है वह याचिका को वापस लेने के लिए आवश्यक आवेदन दायर कर सके।

ऋतंभरा ऋषि

रेणु बाला

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और

निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।